(183) (59)

II/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0335

न्यायालय समक्ष श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट
रीवा (म०प्र०)

रामसुन्दर कुशवाहा पिता स्व0 श्री रामबिहारी कुशवाहा उम्र– 63 वर्ष, पेशा भिक्षाटन, निवासी ग्राम पिपरा, पो0 खम्हरिया तह0 एवं थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) Rs 301/-

अधि० श्री नरेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 9-1-18

..........................*निगरानीकर्ता*

बनाम

1. रामबहोर कुशवाहा पिता स्व0 श्री रामबिहारी कुंशवाहा उम्र– 60 वर्ष पेशा कृषि
2. रामशिरोमणि कुशवाहा उम्र– 33 वर्ष, पेशा कृषि
3. दशरथ कुशवाहा उम्र– 30 वर्ष, पेशा खेती
4. इन्द्रभान कुशवाहा उम्र– 28 वर्ष, पेशा कृषि

   2 ता 4 पिता रामबहोर कुशवाहा
5. लोकनाथ कुशवाहा पिता स्व0 श्री रामबिहारी उम्र– 58 वर्ष पेशा खेती
6. छेदीलाल कुशवाहा उम्र– 28 वर्ष, पेशा कृषि
7. रामदयाल कुशवाहा उम्र– 25 वर्ष, पेशा कृषि

   6 ता 7 पिता लोकनाथ कुशवाहा,

   सभी निवासी ग्राम पिपरा, पोस्ट खम्हरिया, थाना व तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)
8. शासन मध्यप्रदेश ....*गैर निगराकार गण*

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) के नक्शा तरमीम दिनांक 08.12.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–</u>

1– यह कि अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा किया गया नक्शा तरमीम दिनांक 08.12.17 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि भूमि खसरा कमांक कमशः 19/2क, 17/1क, 22/1क, 19/2ग/2, 76/1ख, 77/1क किता 6 स्थित आराजी ग्राम पिपरा, प0ह0 भमरा क्र. 9, रा. नि.मं. सेमरिया तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) के भूमिस्वामी निगराकार हैं जो अपनी भूमि पर अर्सा पूर्व कृषि कास्त करके कब्जा दखल किए हैं।

रामसुन्दर कुशवाहा

II/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0335

59

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.. दो/निग./रीवा/18/335 जिला.... रीवा

.... राम सुन्दर कुशवाहा ...विरूद्ध ..... रामचरित कुशवाहा .....

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री...श्री नरेन्द्र तिवारी... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त...सेमरिया........ तहसील..सेमरिया......के प्रकरण क्रमांक..नक्शा तरमीम.......में पारित आदेश दिनांक.....8-12-17...........के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....रीवा.......... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ...25-3-19......... को कलेक्टर....~~20-3-19~~ रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~जो अपनी भूमि पर असो पूर्व कृषि कास्त करके कब्जा दखल किए है।~~
रामसुन्दर कुशवाहा